N.T. Dt. 8/7/2003

# गवाह मुम्बई की अदालत में चलाना चाहते हैं मुकदमा

**मुम्बई ( न.प्र. )।** गुजरात दंगे के बेस्ट बेकरी हत्या कांड में गवाही से मुकरे चश्मदीद गवाहों ने मांग की है कि इस हत्या कांड की सुनवाई फिर से गुजरात से बाहर देश की किसी अन्य अदालत में शुरु की जाए। गुजरात में सुनवाई के दौरान धमकियां मिलने की शिकायत इन गवाहों ने की है। बेस्ट बेकरी हत्या कांड के प्रमुख गवाहों में से एक जहीरा शेख ने मुम्बई आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वह अब इस मामले को फिर से मुकदमा चलवाना चाहती है लेकिन गुजरात से बाहर।

उल्लेखनीय है कि सबूतों के आभाव में गुजरात की एक अदालत ने हाल ही में 21 आरोपियों को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। बेस्ट बेकरी नाम से गुजरात दंगों के एक प्रमुख हत्याकांड में आरोपियों के बरी होने पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले के अध्ययन के लिए बड़ौदरा के दौरे पर है।

जहीरा के कई दिनों तक गुजरात से गैरहाजिर होने के बाद सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस की प्रमुख तीस्ता सेतलवाड ने इस युवति को सोमवार को मुम्बई प्रेस के समक्ष पेश किया।

डर के मारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अपने चाचा के यहां शरण लेने वाली जहीरा ने कहा कि

**बेस्ट बेकरी कांड**

वह वापस इसलिए आयी है ताकि इस मामले में उस पर लगे आरोपों का वह जवाब दे सके। आरोप यह है कि पैसे लेकर वह गवाही से मुकर गई थी। जहीरा ने कहा कि उसने किसी से पैसे नहीं लिये हैं अपितु स्थानीय भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव, पार्षद चंद्रकांत श्रीवास्तव उर्फ भद्दू और लाल मोहम्मद नामक एक गवाह की तरफ से जान से मार डालने की धमकी से वह डर गई थी और इसलिए हत्यारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। अदालत में बजरंग दल के कई लोगों के साथ ये लोग थे जो लगातार धमका रहे थे। जहीरा ने कहा कि यदि उसके समाज के एक भी व्यक्ति ने उसका साथ दिया होता तो वह पीछे नहीं हटती। यहां तक कि रिलीफ कमेटी के सदस्यों ने भी उसे धोका दिया। अपनी लाचारी प्रकट करते हुए उसने कहा कि एक अकेली लड़की किस किस से और कहां तक लड़ती।

जहीरा ने कहा कि लाल मोहम्मद श्रीवास्तव का साथी है और उसने अदालत में यहां तक कहा कि आरोपियों ने हिंसक भीड़ से मुस्लिम परिवारों को बचाया है। जहीरा ने कहा कि उसे गुजरात सरकार, पुलिस, वकील और वहां की अदालत पर विश्वास नहीं है और चाहती है कि यह मुकदमा मुम्बई कीअदालत में चले क्योंकि यहां उसे कुछ संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ( शेष पृष्ठ 3 पर )

# गवाह मुम्बई की अदालत में चलाना चाहते हैं मुकदमा

Navbharat Times · 8/7/2003

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

उसने अब गुजरात जाने से इनकार करते हुए कहा कि वह मुम्बई में रह कर अब न्याय के लिए संघर्ष करेगी।

50 वर्षीया सेहरुन्निशा जिनकी एक बेटी और चार अन्य रिश्तेदार बेस्ट बेकरी में एक मार्च २००२ की रात लगाई आग में मारे गये थे। ये अदालत में अपनी गवाही के बाद १७ मई से अपनी बेटी जहीरा के साथ गायब हो गई थीं लेकिन हाल ही में कुछ मीडियाकर्मियों ने इन्हें खोज निकाला। मीडिया से बातचीत में सेहरुन्निशा ने कहा कि पुलिस को दिये बयान से अदालत में मुकर जाने की वजह उन्हें मिलने वाली धमकियां थीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा मिले तो वह मानवाधिकार आयोग के सामने सच बोलने को तैयार हैं।

बेस्ट बेकरी कांड के मुख्य गवाहों के साथ रंगकर्मी अलोक पदमसी, शायर जावेद अख्तर, सामाजिक कार्यकर्ता जावेद आनंद, पत्रकार तीस्ता सेतलवाड दक्षिण मुम्बई में प्रेस क्लब में उपस्थित थे।